

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक :

के०वी०एन०सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : 26/08, 2015

विषय : उच्च माध्यमिक कम्प्यूटर शिक्षक के नियोजन से संबंधित मार्ग-निदेश के संबंध में।


प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1549 दिनांक 14.08.15 एवं 1587 दिनांक 21.08.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा कम्प्यूटर शिक्षकों के निर्दिष्ट अर्हता के संबंध में निदेश दिया गया था। प्रसंगाधीन पत्र 1587 दिनांक 21.08.15 की कंडिका-02 (ख) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाय, "अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2006 के नियम-5 के आलोक में B.C.A./B.Sc./B.Com/ B.A. (degree) में प्रतिष्ठा होने पर 05 अंक अतिरिक्त देय होगा" पढ़ा जाय।

प्रसंगाधीन पत्र इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत् रहेगा।

विश्वासभाजन,



(के०वी०एन०सिंह)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)